भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1594
जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

1594. श्री टी.आर. बालू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या न्यायालयों की संख्या में वृद्धि लंबित मामलों को निपटाने हेतु अपर्याप्त रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ; और

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामलों की निपटान अवधि के और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन के द्वारा न्याय तक पहुंच बढ़ाई जा सकती है, सरकार इस दिशा में क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर
विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : न्यायालयों में मामलों की सुनवाई करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है । न्यायालयों में मामलों का समय से निपटान करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद तथा भौतिक अवसंरचना, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित आवेदन सम्मिलित है ।

इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या का वैज्ञानिक निर्धारण करने के लिए एक पद्धति विकसित करने के लिए कहा था । विधि आयोग ने अपनी 245वीं रिपोर्ट (2014) में यह अभिमत व्यक्त किया कि प्रतिव्यक्ति मामलों का फ़ाईल किया जाना भौगोलिक इकाई के अनुसार मूल रूप से परिवर्तित होता है क्योंकि मामलों का फ़ाईल किया जाना जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से सहबद्ध है । इस प्रकार विधि आयोग ने देश में न्यायाधीशों की संख्या की पर्याप्तता को अवधारित करने के लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को वैज्ञानिक मानदंड नहीं समझा था । विधि आयोग ने यह पाया है

कि मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने, साथ ही साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि नया बैकलॉग सृजित न हो,"निपटान की दर" पद्धति अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है ।

अगस्त, 2014 में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली समिति (एनसीएमएस समिति) को विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की परीक्षा करने और इस संबंध में अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए कहा था । एनसीएमएस समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2016 में उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की थी । रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ, यह अभिमत व्यक्त करती है कि लंबे समय में, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश संख्या, प्रत्येक न्यायालय में मामला भार के निपटान के लिए अपेक्षित कुल "न्यायिक घंटो" का अवधारण करने के लिए किसी वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निर्धारित की जाए । अंतरिम में, समिति ने "भार" निपटान पहुंच अर्थात् स्थानीय स्थितियों की प्रकृति और जटिलता द्वारा निपटान भार निर्धारित किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार, तारीख 02.01.2017 के अपने आदेश में न्याय विभाग ने सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को एनसीएमएस समिति की अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति भेज दी है जिससे वे जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की अपेक्षित पदसंख्या का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई करने में सक्षम हो सकें ।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की काडर की पदसंख्या वर्ष 2019 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर 30 से 33 तक और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2014 से 2021 तक 906 से 1080 तक बढ़ाई गई थी । जिला और जिला/अधीनस्थ (तहसील/तालुका) से नीचे स्तर पर नए न्यायालय उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार संबद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। केंद्रीय सरकार की मामले में कोई भूमिका नहीं है।

****